न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

रूपसिंह पुत्र श्रीमन मीना जाति मीना आयु 48 साल निवासी दानालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 23.01.2018 न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली उनवानी सरकार बनाम रूपसिंह मुकदमा नम्बर 298ए / 17

निर्णय दिनांक 11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन द्वारा दिनांक 26.05.2017 को अपीलार्थी के स्टॉक में 399.22 क्विं. गेंहूं शेष होने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर अवशेष स्टॉक को अटैच डीलर शिवराम मीना को सुपुर्द किये जाने एवं सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये लेकिन अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः जांच एवं ऑडिट की गई जिसमें सितंबर 16 से मई 17 तक की ऑनलाइन रिपोर्ट से आवंटन एवं पोस से वितरण की रिपोर्ट के आधार पर 422.06 क्विं. गेंहूं, 2188 लीटर का दुरुपयोग किये जाने एवं दिनांक 26.11.2017 तक अटैच डीलर को राशन सामग्री सुपुर्द नहीं करने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकर पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत् न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 23.01.2018 कानून के विपरीत दिया है जो काबिले निरस्त योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन ने दिनांक 26.05.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें रूपसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत दानालपुर के स्टॉक में 399.22 क्वि. गेंहू शेष होना बताकर अपीलार्थी डीलर को निलंबित किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी करना बताया है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण की सही प्रकार कोई जांच नहीं करवायी ना ही किसी प्रकार की गेंहू कम पाया गया, ना ही केरोसीन कम पाया गया, ना ही चीनी कम पायी गयी। जो प्रवर्तन अधिकारी हिण्डौन द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की है वह बिल्कुल गलत असत्य है। मौके पर कभी भी प्रवर्तन अधिकारी डीलर की दुकान पर नही गया ना ही डीलर ने पोश मशीन का कोई दुरूपयोग किया। नियमानुसार गेंहू, चीनी, तेल वितरण किया जिसकी पोश रसीद कंजूमर को दी गयी इसमें किसी प्रकार की अनियमिततायें नहीं बरती गयी। उक्त जांच के बाबत् अदालत मातहत ने कोई भी नोटिस डीलर को नहीं दिया और बिना नोटिस दिये कार्यालय में बैठकर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा झूठे तथ्यों की रिपोर्ट पेश कर और उक्त निर्णय दिया है जो काबिले निरस्त योग्य है। प्रार्थी अपीलाण्ट के स्टॉक में 422.06 क्वि. गेंहू एवं 2188 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना गलत अंकित किया है। अपीलाण्ट ने किसी प्रकार के गेंहू व केरोसीन का

जिला कलक्टर
करौली

दुरूपयोग नहीं किया है। स्टॉक रजिस्टर बिल्कुल सही है। स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक जो भी बची सामग्री थी, वह इसी ग्राम पंचायत के डीलर शिवराम 1/2 भाग को अदालत मातहत के आदेश के मुताबिक स्टॉक में बची हुई सामग्री संभलवा दी थी। इसके बावजूद भी गलत तथ्यों को अंकित कर अपीलाण्ट की डीलरशिप को निलंबित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अपने फैसले में कहीं तो 15.01.2018 की जांच बतलायी है, कही 26.05.2017 की जांच बतलायी है, कही 29.05.2017 की जांच बतलायी है। सारी जांच भिन्न–भिन्न है और आपस में विरोधाभाषी है। अपीलाण्ट की कोई भी जांचो का नोटिस न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। यदि नोटिस दिया जाता तो अपीलाण्ट जरूर अपना पक्ष प्रस्तुत करता व जवाब न्यायालय में पेश करता किन्तु षडयंत्रपूर्वक तरीके से अपीलाण्ट के राशन डीलर के लाइसेंस को निरस्त करने के उद्देश्य से आपस में बैठकर सारी कागजी तकमील की गयी और गलत आरोप लगाकर लाइसेंस को निलंबित करने में कानूनी भी भूल की है। अपीलाण्ट ने आवश्यक पदार्थ एवं ख0आद्य (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की कोई अवहेलना, शर्त का उल्लंघन नहीं किया है ना ही प्राधिकरण की शर्त संख्या 7, 10, 18(सी) एवं 18 एवं आदेश खण्ड 6 का उल्लंघन नहीं किया है। अपीलाण्ट करीब डेढ़ साल से अधिक समय से बीमार चल रहा है। अपीलाण्ट ने अपने ह्रदय के बॉल्व बदलवाये है उसी बीमारी से जूझ रहा है और अभी तक बीमारी से परेशान है। अब ठीक हुआ है तब अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी मिली है तब यह अपील पेश की जा रही है। अपीलाण्ट डेढ साल से बीमार है अभी 10 दिन पूर्व जयपुर से इलाज कराकर वापस आया है तब अपीलाण्ट को डीलरशिप के लाइसेंस निरस्त करने की जानकारी भाई सुनील ने दी, तब दिनांक 21.05.2019 को प्रार्थी ने उक्त निर्णय को प्राप्त करने की दर0 न्यायालय अधीनस्थ पेश की नकल दिनांक 24.05.2019 को प्राप्त हुई है। तब अपीलाण्ट उक्त अपील को अंदर मियाद पेश कर रहा है। अपील अंदर मियाद है काबिल समायत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 26.05.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन द्वारा रिपोर्ट पेश की कि अपीलार्थी के स्टॉक में 399.22 क्विं. गेंहूं का स्टॉक शेष है जिसे उपभोक्ताओं को वितरित नहीं किया गया है। उक्त अनियमितता पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित कर स्टॉक को अटैच डीलर को सुपुर्द करवाये जाने के आदेश दिये परंतु डीलर द्वारा स्टॉक को अटैच डीलर को नहीं संभलाया गया। पुनः दिनांक 26.11.2017 को अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच कर अवशेष स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया जहां अटैच डीलर को भी बुलवाया गया। अटैच डीलर ने बताया कि उसे स्टॉक संभलाया नहीं गया है। अपीलार्थी डीलर ने बताया कि उसके पास अभी स्टॉक नहीं है। जो भी स्टॉक उसकी तरफ शेष निकलता है उसे वह 1 माह के अंदर कहीं से भी व्यवस्था करके 3 किश्तों में अटैच डीलर को सुपुर्द कर देगा। फर्द मौका पर अपीलार्थी डीलर व अटैच डीलर के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की दुकान पर अवशेष स्टॉक नहीं पाया गया। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर जांच करने पर पाया कि दिनांक 31.05.2017 को अपीलार्थी के पास 390.42 क्विं. गेंहूं निकलता है लेकिन लिफ्टिंग के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर दिसंबर 16, जनवरी 17 एवं मार्च 17 में क्रमशः –0.06 क्विं. गेंहूं, 32 क्विं. गेंहूं एवं –0.30 क्विं. गेंहूं कुल 31.64 क्विं. गेंहूं कम दर्ज है जिससे अपीलार्थी राशन डीलर के पास कुल 422.06 क्विं. गेंहूं निकलता है। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 से 31.05.2017 तक कुल प्राप्त 6550 लीटर केरोसीन में से 4362 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 2188 लीटर केरोसीन शेष रहता है जबकि भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक शून्य पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 422.06 क्विं. गेंहूं व 2188 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना पाया जाने एवं स्टॉक अटैच राशन डीलर को सुपुर्द नहीं करने पर

जिला कलक्टर
करौली

अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है। जांच रिपोर्ट्स में किसी प्रकार का कोई विरोधाभाषी तथ्य नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के स्टॉक में 399.22 क्विं. गेंहूं स्टॉक में शेष रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना, अटैच डीलर को अवशेष स्टॉक को सुपुर्द नहीं करना पाया गया। अपीलार्थी की राशन दुकान पर अवशेष स्टॉक 422.06 क्विं. गेंहूं एवं 2188 लीटर केरोसीन का नहीं है और ना ही अटैच राशन डीलर को सुपुर्द किया गया है, यह स्वयं अपीलार्थी राशन डीलर ने स्वीकार किया है जो फर्द मौका दिनांक 26.11.2017 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर से प्रमाणित है एवं यह एक गंभीर अनियमितता है। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 23.01.2018 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली